पुष्पेंद्र कुमार सिन्हा
बनाम
झारखण्ड राज्य
(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1333)

झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1057 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.01.2020 से

प्रशांत भूषण, मिस एलिस राज, राहुल गुप्ता, शिव कुमार वत्स– अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से

अरूनभ चौधरी, एएजी, विष्णु शर्मा, शान्तनु सागर, कर्मा दोरजी, देचन वांगडी लचुम्पा– अधिवक्ता परिवादी की ओर से

जेके माहेश्वरी, न्यायाधीश

अनुमति दी गई.

2. अपीलकर्ता ने 2018 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1057 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 06.01.2020 को चुनौती दी है, जिसे विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक: 04.07.2018 को पारित आदेश को खारिज कर दिया है। 2011 के विशेष मामले संख्या 02 के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में " सीआरपीसी ") की धारा 239 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आरोपमुक्त करने के आवेदन की पुष्टि की गई है। अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा109 , 409 , 420 , 467 , 471 , 477 ए और 120 बी (संक्षेप में आईपीसी) और धारा 13 (1)(सी) के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 (संक्षेप में " पीसी अधिनियम ") के 13(2) के साथ पढ़ें ।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलकर्ता झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में "जेएसईबी") के त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम ("एपीडीआरपी") विंग में एक कार्यपालक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) ("ईई") के रूप में 07.12.2004 से कार्यरत था। ईई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, एक रामजी पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इसके बाद "आरपीसीएल") को कार्य आदेश दिनांक 27.01.2005 के माध्यम से एपीडीआरपी के तहत काम का ठेका दिया गया था। कार्य के निष्पादन में देरी के कारण और उक्त मुद्दे को हल करने के लिए, तत्कालीन अध्यक्ष जेएसईबी, श्री शिवेंदु ने 21.12.2006 को एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्य अभियंता ("सीई") श्री आरपी अग्रवाल को मौखिक

रूप से मेसर्स आरपीसीएल के अनुबंध को समाप्त करने के लिए अगली बोर्ड बैठक का एजेंडा रखने का निर्देश दिया । अगली बोर्ड बैठक बुलाने से पहले, श्री वी०एन पांडे को 04.01.2007 को जेएसईबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नए अध्यक्ष ने आरपीसीएल के काम की प्रगति की समीक्षा के एजेंडे के लिए 06.02.2007/07.02.2007 को एक बैठक बुलाई। उक्त बैठक में सीई श्री आर०पी० अग्रवाल सहित जेएसईबी के अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में जेएसईबी एवं आरपीसीएल द्वारा आपसी सहमति बनी कि कार्य को विस्तारित समय अर्थात जुलाई 2007 के अंदर पूरा करने का पूरा प्रयास आरपीसीएल द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाते हुए, सीई श्री आर०पी० अग्रवाल ने आरपीसीएल को लंबित कार्य को पूरा करने के लिए याद दिलाने के लिये कई पत्राचार किये । श्री आर०पी० अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने पर श्री आर०पी० अग्रवाल के स्थान पर श्री एस०सी० श्रीवास्तव अधीक्षण अभियंता (विद्युत) को प्रभारी बनाया गया। इस बीच, आरपीसीएल ने दिनांक 16.05.2007, 18.05.2007 और 08.06.2007 को पत्र भेजकर उनसे समय बढ़ाने का अनुरोध किया। उक्त पत्राचार में, यह कहा गया था कि आरपीसीएल ने अनुबंध के संदर्भ में 22.12.2006 को पहले ही मध्यस्थता खंड लागू कर दिया था और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए जेएसईबी से अनुरोध किया था। उक्त पत्र अपीलकर्ता को सौंप दिए गए, जिस पर निर्देशों के तहत, अपीलकर्ता ने दिनांक 08.06.2007 को एक नोट तैयार किया और समान रूप से स्थापित ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं में झारखंड राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ("एजी") के सलाह के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति और दंड की छूट से संबंधित मुद्दे पर अध्यक्ष के समक्ष रखा।

4. इसके बाद, जेएसईबी संकल्प दिनांक 28.06.2007 के तहत, श्री जी०एन०एस० मुंडा (सदस्य, तकनीकी), श्री ए. बनर्जी (वित्त) और श्री ए०के० मिश्रा (कानून अधिकारी) की एक समिति का गठन किया गया, जो 09.08.2007 ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए तीन नाम सुझाए। सुझाए गए तीन नामों में से श्री रामायण पांडे को सहमति से मध्यस्थ नियुक्त किया गया। मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हुई और आरपीसीएल के पक्ष में दिनांक 25.11.2007 को एक अंतरिम निर्णय पारित किया गया। इसके बाद, पंचाट की प्रवर्तनीयता के संबंध में झारखंड राज्य के एजी से राय मांगने से पहले उपरोक्त पंचाट के साथ एक एजेंडा अध्यक्ष श्री बी०एम० वर्मा के समक्ष रखा गया था। बाद में, एजी की राय के अनुसार, जेएसईबी ने बोर्ड संकल्प दिनांक 05.04.2008 और 07.04.2008 के माध्यम से अंतरिम **पंचाट** लागू करने का निर्णय लिया। यह बताना उचित होगा कि, श्री जी०एन०एस० मुंडा (सदस्य, तकनीकी) और श्रीमती राजबाला वर्मा (तत्कालीन वित्त सचिव, झारखंड राज्य) इस बोर्ड बैठक का हिस्सा थीं।

5. यह उल्लेख करना उचित है कि, पंचाट को प्रभावी करते समय, जेएसईबी को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। हालाँकि, जेएसईबी ने आरपीसीएल को दिए गए कार्य अनुबंध को संभालने की आंतरिक जांच करने का निर्णय लिया। उक्त जांच के आधार पर, अपीलकर्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कदाचार और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। सचिव, जेएसईबी ने दिनांक 30.07.2010 के पत्र के माध्यम से सतर्कता

ब्यूरो के महानिदेशक ("डीजीपी") से धारा 109, 409, 420, 467, 471, 477 ए और 120 बी आईपीसी और पी०सी० अधिनियम की धारा 13(1) (सी) और 13(1)(डी) 13(2) के साथ तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, श्रीमती राजबाला वर्मा (तत्कालीन सतर्कता आयुक्त) द्वारा दिनांक 03.09.2010 को अपीलकर्ता के खिलाफ समान कार्रवाई की सिफारिश करते हुए डीजीपी को एक पत्र जारी किया गया था। जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, श्रीमती राजबाला वर्मा उस बोर्ड बैठक का भी हिस्सा थीं (झारखंड राज्य की तत्कालीन वित्त सचिव होने के नाते) जिसने मध्यस्थ पंचाट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। उक्त तथ्यों में, अपीलकर्ता और जेएसईबी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 20.01.2011 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के पश्चात दिनांक 08.01.2016 को आरोप पत्र दायर किया गया और दिनांक 11.01.2016 के आदेश के तहत सतर्कता मामलों से निपटने वाले न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 239 के तहत एक डिस्चार्ज याचिका दायर की, जिसे विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 04.07.2018 के आदेश के तहत खारिज कर दिया। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

6. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उपरोक्त आदेश पर आपत्ति जताते हुए एक आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण को खारिज कर दिया और विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया इस तथ्य से प्रभावित था कि जेएसईबी के पिछले अध्यक्ष श्री शिवेंदु ने मौखिक रूप से आरपीसीएल के अनुबंध को समाप्त करने के लिए एजेंडा पेश करने का निर्देश दिया था। उक्त अध्यक्ष द्वारा पद छोड़ने पर, अपीलकर्ता ने पिछले अध्यक्ष, जेएसईबी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख किए बिना मामले को मध्यस्थता के लिए रेफर करने के संबंध में, बाद के अध्यक्ष श्री वी०एन० पांडे के समक्ष फाइल नोटिंग रखी थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की कार्रवाई में दोष पाया कि उसने पंचाट के गलत कार्यान्वयन के संबंध में एक एजेंडा प्रस्तावित किया था जिसे देर से चुनौती दी गई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

7. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील, श्री प्रशांत भूषण ने निम्नानुसार आग्रह किया:

(i) अपीलकर्ता के पास अनुबंध और पारित पंचाट को पूरा करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति या वित्तीय अधिकार नहीं था। अपीलकर्ता को सौंपे गए कर्तव्य की प्रकृति उसके वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करने तक ही सीमित थी और किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास ऐसे मामले में मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित करने की शक्ति है जहां विवाद जेएसईबी और आरपीसीएल एक कार्य अनुबंध से उत्पन्न हो रहा है।

(ii) अध्यक्ष के निर्देशों के तहत; अनुबंध की समाप्ति के संबंध में पिछले अध्यक्ष के निर्देश को कोई छिपाया नहीं गया है, जैसा कि एपीडीआरपी की टिप्पणी से प्रमाणित है जो फ़ाइल के पृष्ठ संख्या 48 पर दिनांक 08.06.2007 सीई की नोटिंग का अगला पृष्ठ 47, का था ।

(iii) अभियोजन पक्ष ने छुपाया है कि दिनांक 21.12.2006 की बैठक में पिछले अध्यक्ष द्वारा दिए गए अनुबंध को समाप्त करने के मौखिक निर्देश को दो महीने के भीतर जेएसईबी की त्रिपक्षीय बैठक में नए अध्यक्ष श्री वी०एन० पांडे द्वारा पलट दिया गया था, जिसमें 06.02.2007 और 07.02.2007 को अपीलकर्ता सदस्य नहीं था;

(iv) अपीलकर्ता की दिनांक 08.06.2007 की संदिग्ध टिप्पणी तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित थी जो उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा समर्थित एपीडीआरपी फ़ाइल का हिस्सा थी;

(v) अपीलकर्ता पर काम पूरा करने के लिए समय देने, मध्यस्थता के लिए दिए गए संदर्भ और आरपीसीएल के पक्ष में जेएसईबी के खिलाफ पारित अंतरिम पंचाट के लिए भुगतान करने के लिए अगले निर्देश तक गलत आधार पर मुकदमा चलाया जा रहा है। वह निर्णय लेने की प्रक्रिया या उक्त पंचाट को लागू करने के लिए आगे कदम उठाने का हिस्सा नहीं थे। इसप्रकार, जैसा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है, अनुबंध को रद्द करने के लिए एजेंडा नहीं रखने के बहाने सत्ता का दुरुपयोग है और प्रथम दृष्टया, उस पर मुकदमा चलाने का कोई मामला नहीं बनता है;

(vi) प्राथमिकी या आरोप पत्र में अपीलकर्ता के लिए अवैध परितोषण, अनुचित लाभ या आय से अधिक संपत्ति का कोई आरोप नहीं है, जो अपीलकर्ता के आयकर रिकॉर्ड द्वारा भी समर्थित है;

(vii) अभियोजन अपीलकर्ता और आरपीसीएल, जिसे लाभ पहुंचाने का आरोप है, के बीच कोई सांठगांठ स्थापित करने में विफल रहा है;

(viii) जमानत देते समय अपीलकर्ता क गुण–दोष के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि अपीलकर्ता ने आगे बढ़ने से पहले निर्देश के लिए मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा था और एकतरफा कार्रवाई नहीं की थी;

(ix) वित्त निदेशक को छोड़कर, निर्णय लेने वाले किसी भी प्राधिकारी, केंद्रीय खरीद समिति और जेएसईबी के बोर्ड के सदस्यों को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है;

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों के समर्थन में तर्क दिया है और तर्क दिया है कि तत्काल अपील का संपूर्ण तथ्यात्मक दायरा दस्तावेजों पर निर्भरता सहित बचाव की दलीलों के आसपास है, जिन्हें उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस स्तर पर उठाया जाना है । आगे यह आग्रह किया गया है कि आरोप तय करने के चरण में, हस्तक्षेप का दायरा सीमित है, और न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार हैं या

नहीं। अदालत को केवल जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखना है और उस पर विचार करने पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 21.12.2006 की बोर्ड बैठक के बाद, तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवेंदु ने मौखिक रूप से तत्कालीन सीई, श्री आर०पी० अग्रवाल को आरपीसीएल का अनुबंध समाप्त करने हेतु एजेंडा रखने का निर्देश दिया था। उक्त निर्देशानुसार दिनांक 27.12.2006 को श्री आर.पी. अग्रवाल द्वारा एजेंडा प्रस्तावित एवं रखा गया। उक्त प्रस्तावित एजेंडे पर, सदस्य तकनीकी ने 19.01.2007 को "कृपया चर्चा करें" दर्ज करते हुए एक नोट डाला। इसके बाद, जेएसईबी की बैठक 06.02.2007 और 07.02.2007 को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नए अध्यक्ष श्री वी०एन० पांडे ने की और श्री आर०पी० अग्रवाल, सीई, उक्त बैठक के सदस्य थे। या तो प्रस्तावित एजेंडे के चरण में या 06.02.2007 और 07.02.2007 को आयोजित जेईएसबी की बैठक में, अपीलकर्ता ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। उपरोक्त बैठक का विवरण प्रासंगिक है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"जेएसईबी मुख्यालय में 06.02.2007 और 07.02.2007 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी, सलाहकार एवं ठेकेदार उपस्थित थे:

1. श्री वी०एन० पांडे अध्यक्ष
2. श्री आर०पी० अग्रवाल मुख्य अभियंता (एपीडीआरपी)
3. श्री पी. रंजन महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता/जमशेदपुर
4. श्री निरंजन राय निदेशक (वित्त)
5. श्री मधुप कुमार निदेशक (आरई/योजना)
6. श्री पी. रघु राइट्स लिमिटेड
7. श्री वाई०पी० सिंह वहि
8. श्री ए०के० सिंह आरपीसीएल
9. श्री टीके भट्टाचार्य वहि

मेसर्स आरपीसीएल के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। एपीडीआरपी के तहत जमशेदपुर शहर का काम डब्ल्यूओ नंबर 28 और 29 दिनांक 27.01.2005 के तहत मेसर्स आरपीसीएल को सौंपा गया है। प्रगति की समीक्षा की गई और पाया गया कि प्रगति बहुत धीमी है। चर्चा के बाद, जेएसईबी और मेसर्स आरपीसीएल निम्नलिखित बिंदुओं पर परस्पर सहमत हुए:

1. मेसर्स आरपीसीएल, जमशेदपुर के एपीडीआरपी कार्य के लिए सामग्री की खरीद के लिए उनके द्वारा दिए गए सभी ऑर्डर की फोटो कॉपी मुख्य अभियंता/एपीडीआरपी और सलाहकार मेसर्स राइट्स लिमिटेड को जमा करेगी।

2. जेएसईबी सामग्री की खरीद के लिए मेसर्स आरपीसीएल की मदद करेगा।

3. मेसर्स आरपीसीएल द्वारा बिल जमा करने के बाद जेएसईबी तुरंत (संभवतः एक सप्ताह के भीतर) भुगतान कर देगा।

4. अतिरिक्त बी०क्यू०ओ और वस्तुओं की स्वीकृति जेएसईबी द्वारा तुरंत दी जाएगी।

5. मेसर्स आरपीसीएल निरीक्षण अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के लिए विद्युत अधीक्षण अभियंता सह सीईओ/महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, जमशेदपुर को सामग्रियों की नई निरीक्षण कॉल प्रस्तुत करेगा।

6. यदि मुख्य अभियंता (एसएंडपी) द्वारा सड़क परमिट जारी करने में कोई देरी होती है तो मेसर्स आरपीसीएल मुख्य अभियंता (एपीडीआरपी) को अनुबंधित करेगा।

7. मेसर्स आरपीसीएल ने सहमति व्यक्त की कि वे परियोजना को पूरा करने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे ताकि इसे मध्यस्थता/न्यायालय में जाने के बजाय विस्तारित समापन अवधि यानी जुलाई 07 के भीतर पूरा किया जा सके।

8. प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद जेएसईबी एलडी क्लॉज के मामले की समीक्षा करेगा.

एसडी/

(आर०पी० अग्रवाल)

मुख्य अभियंता (एपीडीआरपी) मेमो नंबर .....

दिनांकित .....

प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों/मैसर्स राइट्स लिमिटेड/मैसर्स आरपीसीएल को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

फैक्स – 2543986"

10. श्री आर०पी० अग्रवाल, सीई द्वारा तैयार किये गये उपरोक्त कार्यवृत्त एवं दिनांक 27.12.2006 के प्रस्तावित एजेंडे के अवलोकन से पता चलता है कि प्रस्तावित एजेंडे में तत्कालीन अध्यक्ष श्री शिवेंदु की मौखिक अनुशंसा की गयी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। सदस्य तकनीकी द्वारा दिनांक 19.01.2007 की नोटिंग के अनुसार, जिसने "कृपया चर्चा करें" का समर्थन किया था। इसके बाद जेएसईबी की अगली बैठक में क्या एजेंडा रखा गया, यह रिकॉर्ड में नहीं है। बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि श्री आर०पी० अग्रवाल, जिन्होंने दिनांक 27.12.2006 का एजेंडा तैयार किया था, उक्त बैठक का हिस्सा थे। उक्त बैठक में सभी पक्षों की आपसी सहमति से निर्णय लिये

गये। अपीलकर्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। उक्त बैठक में खंड (7) के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि "मैसर्स आरपीसीएल इस बात पर सहमत हुई कि वे परियोजना को पूरा करने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे ताकि इसे विस्तारित पूर्णता अवधि, यानी जुलाई, 07 मध्यस्थता/न्यायालय में जाने के भीतर पूरा किया जा सके।" पत्राचार से पता चलता है कि कार्यालय छोड़ने से पहले, श्री आर०पी० अग्रवाल, सीई, ने तीन पत्र लिखे थे, जिनमें से दो दिनांक 05.04.2007 और एक दिनांक 25.04.2007 था, जिसमें जेएसईबी के निर्णय के अनुसार अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए आरपीसीएल से अनुरोध किया गया था। . उक्त पत्राचार में अपीलकर्ता की कोई संलिप्तता भी नहीं दिखती है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, दिनांक 08.06.2007 का एजेंडा अपीलकर्ता द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें निम्नलिखित निर्देश प्राप्त करना आवश्यक था:

"... ... .इसलिए निर्देश प्राप्त किया जा सकता है:

(i) एजी झारखंड की सलाह के आलोक में मध्यस्थ की नियुक्ति।

(ii) एजी, झारखंड की सलाह के आलोक में जुर्माना माफ करना

(iii) संशोधित बीक्यूओ की मंजूरी की शर्त को शामिल करते हुए आगे के समय विस्तार के लिए एजेंडा रखना, जो आज तक नहीं दिया जा सका।

11. जेएसईबी बोर्ड की बैठक दिनांक 06.02.2007 और 07.02.2007 को देखने पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता के लिए जाने या कानून की अदालत में जाने के बजाय जुलाई 2007 तक विस्तार दिया गया था। जेएसईबी और उसके सदस्य अनुबंध रद्द करने के इच्छुक नहीं थे और यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया था। इसलिए, दिनांक 08.06.2007 के एजेंडे के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश या तो झारखंड के विद्वान एजी की सलाह पर आधारित थे या बोर्ड के पिछले निर्णय को आगे बढ़ाने में थे। बाद में, यह निर्देश दिया गया कि जेएसईबी, सदस्य तकनीकी, अध्यक्ष की मंजूरी के बाद, मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नाम सुझाने के लिए 'तकनीकी', 'वित्त' और 'कानून' के अधिकारियों की एक समिति का गठन कर सकता है। सदस्य तकनीकी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में कार्यवाही की और 09.08.2007 को तीन नाम प्रस्तावित किए गए, जिनमें से श्री रामायण पांडे, पूर्व कानून विधि सचिव, झारखंड राज्य को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। मध्यस्थ ने 25.11.2007 को आरपीसीएल के पक्ष में एक अंतरिम पंचाट पारित किया।

12. यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि 06.02.2007 और 07.02.2007 को जेएसईबी द्वारा निर्णय लेने के समय, अपीलकर्ता न तो प्रस्ताव या निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल था और न ही हिस्सा था। उन्होंने उपरोक्त बोर्ड बैठक के खंड (7) को आगे बढ़ाने और मध्यस्थ की नियुक्ति और छूट के मामले में झारखंड राज्य के विद्वान एजी की सलाह के आधार पर 08.06.2007 को निर्देशों के लिए प्रस्तावित एजेंडा जुर्माना, जैसा सुझाव दिया गया है तैयार किया था। तत्कालीन सीई श्री आर०पी० अग्रवाल

द्वारा दिनांक 27.12.2006 को अनुबंध समाप्ति हेतु तैयार किये गये प्रस्तावित एजेंडे के बाद भी उस पर कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि 19.01.2007 को मेंबर टेक्निकल ने "कृपया चर्चा करें" नोट लगा दिया था। बाद में बोर्ड ने 06.02.2007 और 07.02.2007 को निर्णय लिया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बोर्ड की राय में अनुबंध की समाप्ति का प्रश्न हटा दिया गया था और मध्यस्थता/न्यायालय में जाने के स्थान पर कार्य को विस्तारित समय के भीतर पूरा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश दिनांक 02.05.2016 में अपीलकर्ता को योग्यता के आधार पर जमानत देते हुए यही बात कही है। उक्त तथ्यों में, केवल एक आगामी एजेंडा दिनांक 08.06.2007 तैयार करना, एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए निर्देश मांगना अपीलकर्ता को कथित अपराधों के लिए दोषी के दायरे में नहीं लाएगा। इस न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जेएसईबी और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय, यदि कोई हों, फ़ाइल में पूरी नोटिंग के अवलोकन के बाद लिए गए थे। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के बाद, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई और दिनांक 25.11.2007 का निर्णय पारित किया गया। इसके बाद, पंचाट के कार्यान्वयन के संबंध में एजेंडा अध्यक्ष श्री बी एम वर्मा के समक्ष रखा गया, जिन्होंने दिनांक 27.01.2008 की नोटिंग के माध्यम से एजी से अंतरिम पंचाट से संबंधित रखरखाव और प्रवर्तनीयता के मुद्दों के बारे में कानूनी राय देने का अनुरोध किया। विद्वान एजी ने पत्र दिनांक 31.01.2008 द्वारा जवाब दिया, यह राय देते हुए कि पंचाट किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और इसे लागू किया जाना चाहिए। तदनुसार, जेएसईबी के बोर्ड ने दिनांक 05.04.2008 और 07.04.2008 के संकल्प के माध्यम से अंतरिम मध्यस्थ पंचाट को मंजूरी दे दी। उक्त बैठक में श्रीमती राजबाला वर्मा (झारखंड राज्य की तत्कालीन वित्त सचिव) ने भी भाग लिया और प्रस्ताव को विधिवत मंजूरी दी।

13. सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि चूंकि जेएसईबी के लिए वित्तीय कठिनाई के कारण पंचाट को लागू करना मुश्किल था, इसलिए एक रोविंग और मछली पकड़ने की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप, सचिव, जेएसईबी ने पत्र दिनांक 30.07.2010 और श्रीमती राजबाला वर्मा (तत्कालीन सतर्कता आयुक्त) के माध्यम से दिनांक 03.09.2010 को पत्र के माध्यम से डीजीपी, सतर्कता ब्यूरो से अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। हम यह समझने में असफल हैं कि वही व्यक्ति, जिसने बोर्ड के सदस्य के रूप में पंचाट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी, बाद में सतर्कता आयुक्त के रूप में अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की सिफारिश क्यों की, जिसने केवल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एजेंडा तैयार किया था और इसका पंचाट की मंजूरी और पैसे के भुगतान से कोई लेना–देना नहीं था। उपरोक्त के मद्देनजर, यदि किसी भी दोषी को नियुक्त किया जाना था, तो इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के बाद सौंपा जाना चाहिए था। आश्चर्यजनक रूप से, अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने समय विस्तार, मध्यस्थ की नियुक्ति और मध्यस्थता पुरस्कार के कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप आरपीसीएल को भुगतान के संबंध में विभिन्न निर्णयों को मंजूरी दी, उन्हें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, प्रथम दृष्ट्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलकर्ता की ओर से दोषी

ठहराए जाने या अपराध सहित अपराध करने का गठन करता हो। ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता को उन निर्णयों के लिए फंसाने का प्रयास किया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया, उसकी कोई भूमिका नहीं थी, न ही उसके कृत्य कथित अपराधों के संबंध में कोई दोषी स्थापित करते हैं।

14. यदि अनुबंध के प्रावधानों के कारण पंचाट की रखरखाव के संबंध में कुछ भी मुद्दे थे, विशेष रूप से विवादित नकारात्मक अनुबंध के अनुसार, तो इसे विद्वान एजी द्वारा उजागर किया जाना चाहिए था, खासकर जब उनकी राय स्पष्ट रूप से मांगी गई थी । हमें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि विद्वान एजी की राय केवल इसलिए पूर्वाग्रहपूर्ण थी क्योंकि उन्हें जेएसईबी के एक इंजीनियर द्वारा मूल्य भिन्नता से संबंधित नकारात्मक अनुबंध के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, जिसका कानून के क्षेत्र में सीमित अनुभव है । हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि एजी किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होने के नाते, सभी प्रासंगिक कारकों और सामग्री को ध्यान में रखते हुए, उचित परिश्रम के बाद राज्य को कानूनी मामलों पर सलाह देने में सक्षम है। इसलिए, अपीलकर्ता को विद्वान एजी की राय को प्रभावित करने या प्रभावित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप पंचाट को लागू करने के लिए जेएसईबी को मंजूरी मिली थी। इसलिए, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने जेएसईबी को नुकसान पहुंचाने और आरपीसीएल को लाभ पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी या बेईमान इरादे से एजी और जेएसईबी को पंचाट लागू करने के लिए प्रेरित किया।

15. प्राथमिकी के अवलोकन पर, हमने पाया कि उमेश कुमार, वित्तीय नियंत्रक – III और वर्तमान अपीलकर्ता, सीई (एपीडीआरपी) के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सकल मूल्य मध्यस्थ पंचाट के अनुसार 7,89,84,826/ रुपये के मुकाबले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 4,89,24,788 रुपये का भुगतान किया।। श्री उमेश कुमार ने 'सीआर' होने के कारण रद्दीकरण याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के समक्ष एमपी संख्या 2136/2015' जिसमें न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना भुगतान के आरोप पर (जैसा कि अपीलकर्ता के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है) निम्नानुसार देखा है:

"1. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, मुझे पता चला कि मेसर्स आरपीसीएल की नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं है और न ही मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में कुछ भी है। केवल जब मध्यस्थ द्वारा पंचाट दिया गया था, याचिकाकर्ता ने उस राशि का भुगतान किया था जो कार्यशील निधि से नहीं बल्कि ऋण निधि से दी गई थी। विजिलेंस ने इसे अवैध माना है क्योंकि उसके

अनुसार भुगतान मौजूदा ऋण राशि से नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि का भुगतान करने के उद्देश्य से ऋण कभी नहीं लिया गया था। यह आरोप किसी भी बात के अभाव में अभियोजन का विषय नहीं हो सकता है कि ऋण खाते से बोर्ड के खिलाफ पारित पंचाट के तहत कवर की गई राशि का भुगतान करने के लिए बोर्ड के अधिकार पर प्रतिबंध था। विजिलेंस की यह राय किसी सर्कुलर

या गाइडलाइन पर आधारित नहीं है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से नया लोन लेने के बाद भुगतान किया जाना चाहिए था। यह कहा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करना है, न कि दूसरों की इच्छा के अनुसार और यदि राशि के भुगतान के मामले में कोई दोषी नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने कोई गलती की है।

2. आगे आते हुए, यह कहा जाए कि याचिकाकर्ता ने रुपये की राशि के भुगतान के संबंध में रिहाई आदेश पारित किया। 4,89,24,788/ लेकिन वह रिहाई आदेश अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना पारित किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार इस तरह की कार्योत्तर मंजूरी अध्यक्ष द्वारा फ़ाइल पर नहीं बल्कि अलग शीट पर दी गई है जो विजिलेंस के अनुसार खराब है लेकिन यदि उक्त राशि के भुगतान के मामले में यह अनियमितता है, तो भी उसकी दोषीता तभी पाई जा सकती है जब कुछ और हो जो ठेकेदार के साथ उसकी मिलीभगत या साजिश को दर्शाता हो, हालांकि विजिलेंस ने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि फाइल इतनी तेजी से आगे बढ़ी लेकिन याचिकाकर्ता के दोषी होने के बारे में कभी भी संकेत नहीं मिलता है, क्योंकि ठेकेदार के साथ अन्य अधिकारियों की साजिश हो सकती है जिसके कारण फाइल इतनी तेजी से आगे बढ़ी। इसके अलावा, सतर्कता का यह मामला कभी नहीं रहा कि उपरोक्त भुगतान सामग्री की आपूर्ति किए बिना या कम आपूर्ति के किए गए थे।

3. इसके अलावा, यह कहा जाना चाहिए कि आपराधिक साजिश के अपराध की सामग्री यह है कि जिन व्यक्तियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, उनके बीच एक समझौता होना चाहिए और उक्त समझौता एक गैरकानूनी कार्य करने या अवैध तरीकों से करने के लिए होना चाहिए। एक ऐसा कार्य जो अपने आप में अवैध नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आपराधिक साजिश का सार एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए एक समझौता है और इस तरह के समझौते को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों द्वारा साबित किया जा सकता है और यह सामान्य अनुभव का विषय है कि साजिश को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष सबूत है शायद ही कभी उपलब्ध हो. तदनुसार, अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए घटना से पहले और बाद में साबित हुई परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। यहां तक कि, अगर कुछ कृत्य किए गए साबित हो जाते हैं, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे आरोपी व्यक्तियों, जो कथित साजिश के पक्षकार थे, के बीच हुए समझौते के अनुसरण में किए गए थे। ऐसी प्रमाणित परिस्थितियों से अपराध के संबंध में निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य उचित स्पष्टीकरण में असमर्थ हों। दूसरे शब्दों में, साजिश के अपराध को केवल संदेह और अनुमान या अनुमान के आधार पर स्थापित नहीं माना जा सकता है जो ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। कानून का यह प्रस्ताव केंद्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के. नारायण राव {(2012) 9 एससीसी 512} के एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।। यहां मौजूदा मामले में, ठेकेदार को राशि के भुगतान के संबंध में उपरोक्त दो तथ्यों के अलावा मिलीभगत या साजिश दिखाने के लिए कुछ भी प्रतीत नहीं होता है।

16. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियों के साथ उमेश कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसे चुनौती देते हुए, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4062/2017, झारखंड राज्य द्वारा दायर की गई थी, जिसे इस न्यायालय ने देरी को माफ करने के बाद दिनांक 05.02.2020 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। प्राथमिकी के आरोपों के अनुसार , यह आरोप लगाया गया है कि उमेश कुमार और वर्तमान अपीलकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 7,89,84,826/ रुपये के सकल मूल्य के मुकाबले 4,89,24,788/ रुपये का भुगतान किया था। इस संबंध में, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने सुझाव दिया कि मध्यस्थ पंचाट का आंशिक भुगतान आरपीसीएल को कार्यशील निधि से, वापसी योग्य आधार पर किया जा सकता है क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन खाते में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं थी। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने एजेंसी को भुगतान किया था। हालाँकि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 243 दिनांक 16.03.2006, को आगे बढ़ाते हुए भुगतान का संभावित तरीका सुझाया, जो मध्यस्थ निर्णय पारित होने के बाद ब्याज सहित भुगतान करना आवश्यक था, लेकिन नोटिंग द्वारा निर्णय को संतुष्ट करने के लिए उक्त सुझाव दिया गया था। हमारे विचार में, यह स्वयं अपीलकर्ता को फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह अत्यंत प्रासंगिक है कि ऐसे सुझाव पर भी कार्यशील निधि से भुगतान नहीं किया गया, बल्कि उमेश कुमार की अनुशंसा पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिए गए ऋण से पंचाट का आंशिक भुगतान किया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है , उनकी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई है और इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

17. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि जांच के दौरान अपीलकर्ता के घर से कोई आपत्तिजनक सामग्री या पैसा जब्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन द्वारा अवैध परितोषण या आय से अधिक संपत्ति के आरोप सफलतापूर्वक पाए गए हैं। इसके विपरीत, जब आयकर विभाग ने सात वर्षों के लिए ब्लॉक आयकर रिटर्न का आकलन किया था, तो विभाग ने रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद अपीलकर्ता को 8843 रुपये का रिफंड दर्ज किया।

18. यह एक सुस्थापित कानून है कि आरोप तय करते समय, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के संभावित मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आरोप तय करने से पहले न्यायालय को रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर अपना न्यायिक दिमाग लगाना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। संतुष्ट रहें कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना संभव था। दरअसल, कोर्ट के पास जांच का दायरा सीमित है और उसे यह देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। साथ ही, न्यायालय से अभियोजन की कहानी को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि मामले की व्यापक संभावनाओं, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के वजन, प्रस्तुत दस्तावेजों और किसी भी बुनियादी कमजोरियों आदि पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। इस संबंध में "भारत संघ"बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, (1979) 3 एससीसी 4" का निर्णय को तत्काल संदर्भ

के लिए लाभप्रद रूप से संदर्भित किया जा सकता है। हमारे सामने रखे गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर की गई दलीलों और चर्चा के आलोक में, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता पर गंभीर संदेह पैदा करने वाले पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं। यह देखा गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों की सामग्री को प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि न तो उसे जेएसईबी के फंड सौंपे गए थे और न ही उसने आरपीसीएल को कोई लाभ पहुंचाने या जेएसईबी को कोई गलत नुकसान पहुंचाने के लिए जेएसईबी के वरिष्ठ अधिकारियों को धोखाधड़ी या बेईमानी से धोखा दिया था। और अपीलकर्ता के खिलाफ अवैध परितोषण या आय से अधिक संपत्ति का कोई सबूत नहीं मिला है।

19. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 397 और 401 के तहत निहित पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा के अनुसार, इस मामले में अपरिहार्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कथित अपराधों की सामग्री प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं बनती है। इसलिए, हम तत्काल अपील की अनुमति देना और विवादित आदेश को रद्द करना उचित समझते हैं। नतीजतन, अपीलकर्ता को 2011 के विशेष मामले संख्या 02 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया है।

Sindhu Nath Lamay अपील मंज़ूर